बिहार सरकार
कृषि विभाग

1ail/Fax पत्र संख्या–3/कृ०बजट आवंटन–24/2013– 150 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 15.09., 2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सीवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय : **खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रूपये, कुल 784.4975 करोड़ रूपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन निकासी की स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से तत्काल 100.00 करोड़ रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,00,00,00,000 (एक अरब रू०) मात्र की राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–4526 दिनांक–09.09.2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रूपये, कुल 784.4975 करोड़ रूपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) की लागत पर कायक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन निकासी की स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से तत्काल 100.00 करोड़ रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,00,00,00,000 (एक अरब रू०) मात्र संलग्न आवंटन विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,00,00,00,000 (एक अरब रू०) मात्र का व्यय बजटशीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड–P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-56 83, विषयशीर्ष–33 01–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष–2013–14 के मूल बजट में उपबंधित राशि 100.00 करोड़ रू० (एक अरब रू०) मात्र तथा वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या–ब०–16/बी0सी0ए0–111/2013 दिनांक–30.08.2013 द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 150.00 करोड़ रूपये बजट शीर्ष में कुल उपलब्ध राशि 250.00 करोड़ रूपये से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–7857 दिनांक–31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. पूर्व में निर्गत् विभागीय पत्रांक–109 (आवंटन) दिनांक–20.08.2013 के कंडिका–3 में वित्त विभाग के "पत्रांक–2561 वि० (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–7857 वि० दिनांक–31.07.2013 पढ़ा जाए" एवं संलग्न आवंटन विवरणी स्वीकृत्यादेश संख्या–3729 दिनांक– 24.08.2013 के स्थान पर दिनांक–24.07.2013 पढ़ा जाए। शेष यथावत रहेगें।

सुमन

विश्वासभाजन
ह० 14/9/13
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-11.09.2013..doc